भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 533

उत्तर देने की तारीख : 17.09.2020

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग संस्थानों संबंधी मुद्दे

533# श्री नीरज डांगी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंधाधुंध कोचिंग संस्थाओं द्वारा लूटमार से आम जनता को निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और पारदर्शी, जवाबदेह और विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक बनाने और विद्यार्थियों और अभिभावकों के शोषण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

ग) क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारित करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(घ) क्या इस तरह की अनियमितताओं से निपटने और ऐसी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु कोई तंत्र विकसित किया जा रहा है ;

(ड़) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : निजी कोचिंग केंद्र से शिकायत होने की स्थिति में समाधान चाहने वाले छात्रों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान हैं।

(ख) से (च) : इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे केंद्रों के प्रभावी विनियमन के लिए उपाय करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, छात्रों के हित में सरकार ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स(स्वयम) की शुरुआत की है जिसके माध्यम से भारत के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों के शिक्षक नि:शुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) के तहत पठन सामग्री तथा छात्रों के संदेह दूर करने हेतु शिक्षकों के साथ ऑनलाइन चर्चा भी उपलब्ध है। इसी तरह आईआईटी-पीएएल नामक एक अन्य पहल शुरू की गयी है जिसके तहत आईआईटी के शिक्षक कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए (जो आईआईटी व अन्य संस्थाओं में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं) मुफ़्त में

शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और भौतिक विज्ञान में विडियो सामग्री तैयार की गयी है। यह सामग्री आईआईटी-पीएएल और स्वयम प्रभा के समर्पित चैनलों पर भी नि:शुल्क उपलब्ध है।

सरकार ने पाठ्यचर्या के सतत् अद्यतनीकरण, सेमेस्टर प्रणाली, शिक्षकों के क्षमता निर्माण, शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश हेतु बाधाओं को हटाना, आकर्षक वेतन पैकेज और अन्य सेवा शर्तों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न सुधार शुरू किए हैं, जिनसे कॉलेज शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने और परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्रों में कॉलेज छात्रों की निर्भरता कम होने की संभावना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कमजोर वर्गों के छात्रों को तकनीकी/ व्यावसायिक परीक्षा और नौकरियों की तैयारी करने के लिए कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु योजनाएं भी चलाई जाती हैं।

***